


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 939 /2021 दिनांक 22.04.2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/372/2021 दिनांक 01.02.2021 के द्वारा सुश्री सुनीता (RJ1135), तत्कालीन विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट(एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-09, जयपुर महानगर-II हाल सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर) को दिनांक 15.02.2021 से 17.02.2021 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 13.02.2021 से 14.02.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था. जिसमें से दिनांक 16.02.2021 से 17.02.2021 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से



20.04.2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/123/2016/2631

दिनांक : 22.04.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 1114 दिनांक 17.03.2021 के मन्दर्भ में।
3. सुश्री सुनीता (RJ1135), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर)।
4. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-09, जयपुर महानगर-II
5. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-06, जयपुर महानगर-II


सहायक रजिस्ट्रार